इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013—भाद्र 15, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 19-3-2011-बारह-1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 (तीन) में, खण्ड (तीन) में, शब्द "ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए संबंधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के लिए शासकीय भूमि से निकाले गये गौण खनिज" के

स्थान पर शब्द ''ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों तथा जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिये संबंधित पंचायतों तथा जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के लिए शासकीय भूमि से निकाले गये गौण खनिज'' स्थापित किया जाएं.

(2) नियम 68 में,—

(क) उप नियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

''(दो) ऊपर खण्ड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभागों के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित की जाने वाली सड़कों की दशा में मुरम की अनुज्ञा राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री अथवा कार्यपालन यंत्री के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जायेगी तथा ऐसी अनुज्ञा जारी किये जाने के पूर्व उनके द्वारा खनिज, राजस्व तथा वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी तथा जारी की गई अनुज्ञा की प्रति इन विभागों को पृष्ठांकित की जायेगी. राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री के समकक्ष अधिकारी, कलक्टर कार्यालय से अभिवहन पास बुक अग्रिम में प्राप्त करेंगे और वह ठेकेदारों को अभिवहन पास जारी करेंगे तथा संबंधित कलक्टर को प्रत्येक तीन मास में उत्खनित गौण खनिज की मात्रा से अवगत करायेंगे.''

(ख) उपनियम (3) में, पूर्ण विराम के पश्चात् कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभाग के अधीन किए गए और किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों के लिए साधारण मिट्टी और मुरम पर रायल्टी देय नहीं होगी.''.

No. F-19-3-2011-XII-1.—in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) in rule 3, in clause (iii) for the words "The minor minerals removed from Government lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats and Zila Panchayats for work undertaken by respective Panchayats", the words "The minor minerals removed from Government lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats, Zila Panchayats and Water User Associations for work undertaken by respective Panchayats and Water User Associations" shall be substituted.

(2) In rule 68,—

(a) for clause (ii) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) above, in case of roads under construction or to be constructed under the public sector, authority, board, local body of State Government or Government department of the State, the permits of murrum shall be given by the Executive Engineer or officer equivalent to Executive Engineer of the concerned public sector, authority, board local body of State Government or Government department of the State to the authorized contractor and prior to issuing of such permit no objection from Mining, Revenue and Forest Department

shall be obtained by them and copy of the permit issued shall be endorsed to these departments. The Executive Engineer or officer equivalent to Executive Engineer of concerned public sector, authority, board, local body of State Government or Government departments of the State shall obtain Transit Pass Book in advance from office of the Collector and he shall issue the transit pass to contractors and quantity of the minor mineral excavated shall be informed, in every three months, to the concerned Collector.".

(b) in sub-rule (3) after full stop, a colon shall be substitued and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

Provided that royalty on ordinary clay and murrum shall not be payable for all construction works carried out or to be carried out under public sector, authority, board, local body of the State Government or Government dapartment of the State.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, अपर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1-19-2009-तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत मध्यप्रदेश स्वराज संस्थान संचालनालय के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग) तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, नियम 13 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जाति, मूलवंश या उसका भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(झ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा उसका भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें भारत संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की गई चयन समिति;

(ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग) तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा;

(ठ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **व्याप्ति तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों पर मूल रूप से नियुक्त किए गए थे;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों;

5. **सेवा का वर्गीकरण, पदों की संख्या तथा वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या, तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) भरती किए गए व्यक्ति अधिसूचना के अधीन, सरकार के आदेश क्रमांक एफ-11-1-2008-नियम-चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 के अधीन समयमान वेतनमान के हकदार होंगे.

6. **भरती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भरती द्वारा/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा या दोनों द्वारा;

(ख) सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों से जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से सेवा में भरती के लिए उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किए जाएं.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन/नियुक्ति के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिये अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तें.**—चयन/प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु.**—(क) उसने, चयन/परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा, उस सीमा तक नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द "छंटनी किए गए सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्षा सेवा की समस्त कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और,—

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भरती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं), जो संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किए गए हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब ये दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(ङ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन दंपत्तियों के पुरस्कृत सवर्ण पति-पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के बराबर उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा. उपरोक्त शिथिलीकरण की सीमा 3 वर्ष तक होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

टिप्पणी :—(1) ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 8 के उपनियम (1) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझे गये हों, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छंटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

परन्तु,—

(क) आपवादिक मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए/चयन के लिए पात्र अभ्यर्थियों के रूप में विचार हेतु न्याय संगत ठहराती हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्हित हैं किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि ली हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से मान्यता नहीं दी गई हैं, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए भी विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिये निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषी/अभियुक्त ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा. किन्तु जहां किसी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में मामला लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति माननीय न्यायालय का विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगी.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए/साक्षात्कार के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल से ली जाएगी, जैसी कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे. चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा.

(2) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार ली जाएगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भरती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) चयन समिति, एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, या जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है.. योग्यता के क्रम में तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्त होने का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) समिति द्वारा जारी की गई सूची उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी.

13. **चयन द्वारा नियुक्ति.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों के प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी:

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्य में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जो साधारणत: एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा.

(3) पदोन्नति द्वारा चयन प्रक्रिया और नियुक्ति, यदि कोई हो, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी.

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक चयन या पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

14. **उपर्युक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति, उपयुक्त अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, जो शर्तों को पूरा करते हों और उस समिति द्वारा सेवा में चयन के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) इस सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के नाम सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—वे व्यक्ति, जिनके नाम चयन सूची में सम्मिलित किए गए हों, किन्तु जिन्हें सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उनके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन सूची में विचार किया गया था, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे.

(3) चयन सूची, साधारणत: एक वर्ष के लिए अथवा तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता है, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से

18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के पालन में गंभीर चूक की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि उचित समझे ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

15. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर, नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी. जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गयी हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी है, जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाती है.

16. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

17. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

18. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति में, जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्रवाई करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

19. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

20. **निरसन और व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

विभाग का नाम (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	अभ्युक्तियां (6)
स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग).	सहायक ग्रंथपाल	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 (ग्रेड पे)	
	लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 (ग्रेड पे)	
	कार्यक्रम सहायक	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800 (ग्रेड पे)	
	सहायक ग्रेड-तीन	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 (ग्रेड पे)	
	वाहन चालक	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 (ग्रेड पे)	

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या सीधी भरती द्वारा	भरे जाने वाले पदों की संख्या व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग).	सहायक ग्रंथपाल	1	100 प्रतिशत	-	उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के अध्यधीन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा.
	लेखापाल	1	100 प्रतिशत	-	उपरोक्तानुसार
	कार्यक्रम सहायक	1	100 प्रतिशत	-	उपरोक्तानुसार
	सहायक ग्रेड-तीन	1	100 प्रतिशत	-	उपरोक्तानुसार
	वाहन चालक	1	100 प्रतिशत	-	उपरोक्तानुसार

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग).	सहायक ग्रंथपाल	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा एवं पुस्तकालय में कार्य करने का अनुभव.	
	लेखापाल	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि तथा लेखा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव.	
	कार्यक्रम सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं कार्यक्रम आयोजित कराने का कार्य अनुभव.	
	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्ड्री अथवा (10+2) प्रणाली से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रलेखन तथा कमप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य.	
	वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण एवं हल्के यान चलाने की अनुज्ञप्ति आवश्यक तथा मोटरयान चलाने का अनुभव.	

No. F 1-19-2009-XXX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and condition of Service of members of the Madhya Pradesh Swaraj Sansthan Sanchalanalaya working under the Culture Department namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Swaraj Sansthan Sanchalanalaya Culture Department Class-III Non Gazetted Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazettee".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Appointing Authority' in respect of the service means the Director Swaraj Sansthan Sanchalanalaya;

(b) 'Committee' means the Departmental Promotion Committee/Selection Committee constituted under rule 13;

(c) 'Examination' means the competitive examination held for recruitment under rule 11 of these rules.

(d) 'Government' means the Government of Madhya Pradesh;

(e) 'Governor' means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) 'Other Backward Classes' means the other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

(g) 'Schedule' means the schedule appended to these rules;

(h) 'Schedule Caste' means any caste, race or part of or group within a caste or race specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(i) 'Scheduled Tribe' means any tribe or tribal community or a part of or group within a tribe or tribal Community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(j) 'Selection Committee' means the Selection Committee constituted by Appointing Authority;

(k) Service' means the Madhya Pradesh Swaraj Sansthan Sanchalanalaya (Culture Department) Class-III (Non Gazetted) Service;

(l) 'State' means the State of Madhya Pradesh;

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of these rules were appointed substantively on the posts specified in the Schedule I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules.

5. **Classification, of Service, number or posts Scale of pay etc.**—(1) The classification of the service, the number of posts included in the service and the Scale of pay attached there to shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

(2) Persons recruited will be entitled for time scale pay under the notification *vide* Govt. order No. F-11/1/2008/Rules/ Four, dated 24th January 2008.

6. **Method of Recruitment**—(1) Recruitment to service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

(a) By direct recruitment / by competitive examinations or both.

(b) By transfer/deputation of person from other services as specified by the Government from time to time.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts mentioned in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the services as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the government in consultation with the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) if in the opinion of the government the exigencies of the service so require, the government may with the consent of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf prescribe.

7. **Appointment to the service.**—All appointment to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection/appointment by one of the methods of recruitment specified in rule (6).

8. **Conditions of eligibility of candidates for direct recruitment.**—In order to be eligible for selection/competitive examination, the candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) **Age.**—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of selection/examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women Rules, 1997).

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions as specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 40 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 40 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees work charged employees and employees working in the project implementation committees.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents a total of more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation –The term retrenched Government servant means a person who was a temporary Government Service of this State or of any of the Constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration in the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-servicemen will be allowed to deduct from his age the period of all defense Service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.–The term 'ex-serviceman' means a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy unit limit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or an application made otherwise for employment in Government Service :—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concession;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that now they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc;

(e) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 2 years for candidates holding Green-Card under Family Planing Programmes.

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of an awarded superior caste partner who has been awarded under the inter-caste marriages incentive programme of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of the Vikram Award holder candidate.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Board.

(i) Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers shall be allowed relaxation in the upper age limit equal to the period of service previously rendered by them in Home Guards. The limit of relaxation as above shall be 3 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note.—(I) Candidates, who are considered eligible for examination/selection, under the age concessions mentioned in sub-rule (1) of rule 8 shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/ election. They will

however, continue to be eligible for appointment if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) **Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III.

Provided that—

(a) In exceptional cases the Appointing Authority may treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed the examinations conducted by other institutions by such standard with in the opinion of Appointing Authority justifies the consideration of the candidate eligible to appear in the examination/selection, and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities being universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examinations/selections at the discretion of the Appointing Authority.

(3) **Fees.**—The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of a Candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for examination/selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment in the Service who got married before the minimum age prescribed for Marriage.

(3) No Candidate will be eligible for appointment who has two live children and if one of then is born on 26th January 2001 or later.

(4) Any candidate found guilty/accused in crime against women will not be eligible for appointment. But if a case pending in the court against any person then his appointment shall keep pending till the decision of the honorable court.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final.**—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate to appear in the examination/selection shall be final and no such candidate shall be allowed to appear in the examination or permitted for interview to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority.

11. **Direct Recruitment through competitive Examination.**—(1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time, determine the selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing them.

(2) The examination shall be held in accordance with such orders of the Appointing Authority as he may from time to time, issue.

(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), and orders issued by the Government from time to time in this respect;

(4) Posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of women) Rules, 1997.

(5) In filling the vacancies so reserved the candidates, who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appeared in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, selected by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(7) The posts shall be reserved for handicapped candidates as per the instructions of the General Administration Department.

(8) The posts shall be reserved for Ex serviceman as per the instruction of GAD.

(9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

12. **List of Candidates recommended by the Selection Committee.**—(1) The Selection Committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment on the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as he may considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the services.

(4) The list issued by the committee shall be valid for a period of one year from the date of its issue.

13. **Appointment by Selection.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members for making a preliminary selection of eligible candidates:

Provided that if the nominated members other than the member presiding the Departmental Promotion committee or Selection Committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes Category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee or Selection Committee and the number of members of Departmental committee or Selection Committee shall be extended to that limit.

(2) The Departmental Promotion Committee or Selection Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The selection process and appointment by promotion if any shall be made in accordance with the provisions as specified in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) rules, 2002.

(4) The Appointing Authority shall on every selection or promotion order to be issued by him shall make endorsement a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued keeping in view the provisions of the said Act and Rules made by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Preparation of the list of suitable persons.—(1) The Departmental Promotion Committee or Selection

Committee shall prepare a list of persons who fulfills the conditions and held by the committee to be suitable for selection to the service the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of the one year from the date of preparations of the select list.

(2) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts.

Explanation.—A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over these considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(3) The select list shall ordinarily be inforce for one year or until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

15. **Appointment to the Service from the Select List.**—(1) Appointment of the persons included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such persons appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before the appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

16. **Probation.**- Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

17. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

18. **Relaxation.**- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

19. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

20. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that, any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

Schedule-I
(See Rule-5)

Name of Department (1)	Name of Posts included in the service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Pay Scale (5)	Remarks (6)
Directorate of Swaraj Sansthan (Culture Department).	Assistant Librarian	1	Class-III	9300-34800+3200 (GP)	
	Accountant	1	Class-III	5200-20200+2400 (GP)	
	Programme Assistant	1	Class-III	5200-20200+2800 (GP)	
	Assistance Grade-III	1	Class-III	5200-20200+1900 (GP)	
	Driver	1	Class-III	5200-20200+1900 (GP)	

Schedule-II
(See Rule-6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of Post	Total Number of Posts	Percentage of the number of the posts to be filled		
			by direct recruitment	by transfer of the persons	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Directorate of Swaraj Sansthan Department of Culture	Assistant Librarian	1	100 percent	-	By transfer subject to Unavailability of suitable person
	Accountant	1	100 percent	-	As above
	Programme Assistant	1	100 percent	-	As above
	Assistance Grade-III	1	100 percent	-	As above
	Driver	1	100 percent	-	As above

Schedule-III
(See Rule-8)

Name of Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)	Remarks (6)
Directorate of Swaraj Sansthan (Culture Department).	Assistant Librarian	18 Years	40 Years	Bachelor Degree from any recognised University diploma in library science and working experience in Library.	
	Accountant	18 Years	40 Years	Bachelor Degree in commerce from any recognised University and working experience in field of Accounts.	
	Programme Assistant	18 Years	40 Years	Bachelor Degree from any recognised University and working experience of organising Programmes.	
	Assistance Grade-III	18 Years	40 Years	Higher Secondary or (10+2) passed 12th examination must have passed Typing and computer examination from any recognised institution.	
	Driver	18 Years	40 Years	Passed 8th class examination, Light vehicle driving license necessary and driving experience.	

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 04 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांकः एफ 1–23/2012/52–1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् : –

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम 8 में,–

(1) खण्ड (ग) में, उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :–

"(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।";

(2) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग–एक) महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी किन्तु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ;";

(3) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(घ) विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिल की जाएगी ;";

(4) खण्ड (ज) और (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :–

"(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो राज्य के निगम/मण्डल/ स्वशासी निकायों के कर्मचारी हों उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिल की जाएगी ;

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि की, किन्तु 3 वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।";

2. नियम 9 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) यदि किसी अभ्यर्थी की दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए निरर्ह नहीं माना जाएगा जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् होता है जिसमें दो या दो से अधिक संतान पैदा हुई हों।

3. नियम 11 में, उपनियम (3—क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3—ख) तृतीय श्रेणी सेवा के लिए अभिज्ञात दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और अस्थिबाधित के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे। अभ्यर्थियों को उपलब्ध पदों के कमशः 2 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।"।

4. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"अनुसूची –एक
(नियम 5 देखिए)

अनुकमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान+ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	फील्ड आफिसर	72	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	पी.बी.–9300–34800+3600
2	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	20	––"––	पी.बी.–5200–20200+2800
3	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	70	––"––	पी.बी.–5200–20200+2400
4	फील्डमैन	53	––"––	पी.बी.–5200–20200+1900
5	सिनेमा आपरेटर	01	––"––	पी.बी.–5200–20200+2400
6	वाहन चालक	15	––"––	पी.बी.–5200–20200+1900
7	अधीक्षक	01	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा	पी.बी.–9300–34800+3600
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	––"––	पी.बी.–9300–34800+3600
9	सहायक अधीक्षक	15	––"––	पी.बी.–9300–34800+3200
10	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	05	––"––	पी.बी.–5200–20200+2800
11	सहायक प्रोग्रामर	01	––"––	पी.बी.–9300–34800+3600
12	लेखापाल / सहायक ग्रेड दो / सब आडीटर	4+9+3 (16)	––"––	पी.बी.–5200–20200+2400
13	सहायक ग्रेड तीन	60	––"––	पी.बी.–5200–20200+1900
14	शीघ्रलेखक ग्रेड दो	01	––"––	पी.बी.–9300–34800+3600
15	शीघ्रलेखक ग्रेड तीन	03	––"––	पी.बी.–5200–20200+2400
16	स्टेनो टायपिस्ट	05	––"––	पी.बी.–5200–20200+1900
17	आडीटर	02	––"––	पी.बी.–5200–20200+3200

अनुसूची –दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6(1)(क) देखिए	सेवा के स्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6(1)(ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	रेशम संचालनालय, तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	फील्ड आफिसर	72	30%	70%	
		वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	20	–	100%	
		कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	70	70%	30%	
		फील्डमैन	53	30%	70%	
		सिनेमा आपरेटर	01	100%	–	
		वाहन चालक	15	100%	–	
	रेशम संचालनालय, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा	अधीक्षक	01	–	100%	
		सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	–	100%	
		सहायक अधीक्षक	15	–	100%	
		फील्ड इन्वेस्टीगेटर	05	100%		
		सहायक प्रोग्रामर	01	–	100%	
		शीघ्रलेखक ग्रेड दो	01	–	100%	
		शीघ्रलेखक ग्रेड तीन	03	35%	65%	
		लेखापाल / सहायक ग्रेड दो/ सब आडिटर	4+9+3 (16)	–	100%	
		सहायक ग्रेड–तीन	60	75%	25%	
		स्टेनो टायपिस्ट	05	100%	–	
		आडिटर	02	–	–	100 %

अनुसूची –तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा मे सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	फील्ड आफिसर	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं वैकल्पिक अर्हता के रूप में कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए।
		कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि।
		फील्डमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी या 12वीं (10+2) शिक्षा पद्धति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण।
		सिनेमा आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी या 10+2 शिक्षा पद्धति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यताप्राप्त बोर्ड से प्रोजेक्टर चलाने का लायसेंस होना चाहिये।
		वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा भारी एवं हल्के वाहन चलाने का लायसेंस।
	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य।
		शीघ्रलेखक ग्रेड तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2) पैटर्न परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल, भोपल या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन तथा हिन्दी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :– (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (तीन) डी ओ इ ए सी सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स।
		सहायक ग्रेड तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2) पैटर्न परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल, भोपाल या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से हिंदी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :– (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (तीन) डी ओ इ ए सी सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2) पैटर्न परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल, भोपाल या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से हिंदी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र और किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान (कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट) तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :– (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (तीन) डी ओ इ ए सी सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स।

टीप – (1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) अधिकतम आयु–सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 सी03–11/12/1/3, दिनांक 03–11–2012 एवं 20–11–2012 के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची –चार
(नियम–14 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा के उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यगण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा			1.संयुक्त संचालक रेशम उद्योग, अध्यक्ष 2.उप संचालक रेशम उद्योग, सदस्य 3.उप संचालक रेशम उद्योग, सदस्य 4.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग का प्रतिनिधि – सदस्य
	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	फील्ड आफिसर	पांच वर्ष	
	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	पांच वर्ष	तदैव
	प्रदर्शक/फील्डमैन	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	पांच वर्ष .	तदैव
	आपरेटिव्ह (चतुर्थ श्रेणी)	फील्डमैन	पांच वर्ष	तदैव
	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा			
	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	पांच वर्ष	तदैव
	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	पांच वर्ष	तदैव
	लेखापाल/सहायक ग्रेड दो/ सब आडीटर एवं इससे उच्च वेतनमान के लिपिकीय सेवा के पद	सहायक प्रोग्रामर	पांच वर्ष (जिसमें 3 वर्ष का कम्प्यूटर प्रचालन का अनुभव सम्मिलित है) एवं गणित/भौतिक सांख्यिकी/ संक्रिया अनुसंधान/ में स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा	तदैव
	लेखापाल/सहायक ग्रेड दो/ सब आडीटर	सहायक अधीक्षक	पांच वर्ष एवं लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	तदैव
	सहायक ग्रेड तीन	लेखापाल/सहायक ग्रेड दो/सब आडिटर	पांच वर्ष	तदैव
	शीघ्रलेखक ग्रेड तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड दो	पांच वर्ष	तदैव
	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड तीन	पांच वर्ष एवं मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	सहायक ग्रेड तीन	पांच वर्ष एवं शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से हायर सेकेण्डरी (10+2) पैटर्न परीक्षा उत्तीर्ण तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :— (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (तीन) डी ओ इ ए सी सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स।	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कुसुम ठाकुर, उपसचिव.

NOTIFICATION

No F 1-23/2012/52-1. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Sericulture class III (Ministerial and Non-Ministerial Service Recruitment) Rules, 1991, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

In rule 8,-

(1) in clause (c), for sub-clause (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(i) a candidate who is a permanent Government servant should not more than 40 years of age;

(ii) A candidate who is a temporary Government servant and applying for another posts should not be more than 40 years of age. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.";

(2) After clause (c), the following clause shall be inserted, namely :-

"(c-i) the upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 10 years but should not more than 45 years of age in respect of women candidate;";

(3) For clause (d), the following clause shall be substituted, namely :-

"(d) The general upper age limit shall be relaxed upto a maximum 45 years in respect of the widow, destitute and divorced women candidate;";

(4) For clause (h) and (i), the following clauses shall be substituted, namely :-

"(h) the upper age limit shall be relaxed upto a maximum 45 years in respect of candidate who are employee of State Corporation /Board/Autonomous Bodies;

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guard and non commissioned officers of Home guard for a period or service rendered by them subject to limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years.";

2. Rule 9 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(2) No candidate shall be eligible for any appointment to the service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to the service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born.

3. In rule 11, after sub-rule (3-A), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(3-B) There shall be reserved post for class III on the service identified as visually impaired, hearing impaired and orthopedicly impaired candidate shall be given appointment on 2 percent post respectively of the post available.".

4. For the existing Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay+Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Field Officer	72	Madhya Pradesh Sericulture Class III (Non Ministerial) Service.	PB-9300-34800+3600
2	Senior Sericulture Inspector	20	---"---	PB-5200-20200+2800
3	Junior Sericulture Inspector	70	---"---	PB-5200-20200+2400
4	Field man	53	---"---	PB-5200-20200+1900
5	Cinema Operator	1	---"---	PB-5200-20200+2400
6	Driver	15	---"---	PB-5200-20200+1900
7	Superintendent	1	Madhya Pradesh Sericulture Class III (Ministerial) Service.	PB-9300-34800+3600
8	Assistant Statistical Officer	2	---"---	PB-9300-34800+3600
9	Assistant Superintendent	15	---"---	PB-9300-34800+3200
10	Field Investigator	5	---"---	PB-5200-20200+2800
11	Assistant Programmer	1	---"---	PB-9300-34800+3600
12	Accountant/ Assistant Grade II/ Sub Auditor	4+9+3 (16)	---"---	PB-5200-20200+2400
13	Assistant Grade III	60	---"---	PB-5200-20200+1900
14	Stenographer Grade II	1	---"---	PB-9300-34800+3600
15	Stenographer Grade III	3	---"---	PB-5200-20200+2400
16	Steno Typist	5	---"---	PB-5200-20200+1900
17	Auditor	2	---"---	PB-5200-20200+3200

SCHEDULE-II
(See rule-6)

Name of Department	Name of service	Name of the posts included in the service	Total no. of the posts	Percentage of the number of posts to be filled in		
				By direct requirement ([See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the substantive members of the service [See Rule 6(1)b)	By transfer of the persons from other services [See rule 6 (c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cottage & Rural Industry Department	Directorate of Sericulture, Class III (Non Ministerial) service	Field Officer	72	30%	70%	-
		Senior Sericulture Inspector	20	-	100%	-
		Junior Sericulture Inspector	70	70%	30%	-
		Field man	53	30%	70%	-
		Cinema Operator	1	100%	-	-
		Driver	15	100%	-	-
	Directorate of Sericulture, Class III (Ministerial) service	Superintendent	1	-	100%	-
		Assistant Statistical Officer	2	-	100%	-
		Assistant Superintendent	15	-	100%	-
		Field Investigator	5	100%	-	-
		Assistant Programmer	1	-	100%	-
		Stenographer Grade II	1	-	100%	-
		Stenographer Grade III	3	35%	65%	-
		Accountant/ Assistant Grade II/ Sub Auditor	4+9+3 (16)	-	100%	-
		Assistant Grade III	60	75%	25%	-
		Steno Typist	5	100%	-	-
		Auditor	2	-	-	100%

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Name of the Department	Name of service	Name of the posts included in the service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cottage & Rural Industries Department	Madhya Pradesh Sericulture Class III (Non Ministerial) service	Field Officer	18 years	40 years	Bachelors degree in Biology Science / Agriculture Science from a recognized university and as an optional qualification have knowledge of Computer Operation.
		Junior Sericulture Inspector	18 years	40 years	Bachelors degree in Biology Science/Agriculture Science from a recognized university.
		Field man	18 years	40 years	Higher Secondary 12th (10+2) pattern examination passed from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any institution recognized by the Government.
		Cinema Operator	18 years	40 years	Higher Secondary 12th (10+2) examination passed from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any institution recognized by the Government and have license of Projector operation from a recognized board.
		Driver	18 years	40 years	8th class passed and have Driving License for heavy and light weight vehicle.
	Madhya Pradesh Sericulture Class III (Ministerial) service	Field Investigator	18 years	40 years	Bachelors degree with Statistics subject from a recognized University and Computer Training Certificate is compulsory.
		Stenographer Grade- III	18 years	40 years	Higher Secondary (10+2) pattern examination passed from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any institution recognized by the Government and Certificate of Hindi Typing Examination passed and Shorthand Examination passed with the speed of 100 words per minute from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Board, Bhopal or from any institution recognized by Government of Madhya Pradesh and it is compulsory to pass Computer Examination from any of the following recognized Institution:- (i) Diploma from all universities recognized by U.G.C. (ii) Diploma from all open universities recognized by U.G.C. (iii) Diploma level examination from DOEACC (iv) Diploma in modern office management from Government Polytechnic College.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Assistant Grade-III	18 years	40 years	Higher Secondary (10+2) examination passed from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any institution recognized by the Government and Certificate of Hindi Typing Examination passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Board, Bhopal or from any institution recognized by Government of Madhya Pradesh and it is compulsory to pass Computer Examination from any of the following recognized Institution:- (i) Diploma from all universities recognized by U.G.C. (ii) Diploma from all open universities recognized by U.G.C. (iii) Diploma level examination from DOEACC (iv) Diploma in modern office management from Government Polytechnic College.
		Steno-typist	18 years	40 years	Higher Secondary (10+2) pattern examination passed from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any institution recognized by the Government and Certificate of Hindi Typing Examination passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Board, Bhopal or from any institution recognized by Government of Madhya Pradesh and knowledge of Hindi Shorthand (minimum 80 WPM) from any recognized institution and it is compulsory to pass Computer Examination from any of the following recognized Institution:- (i) Diploma from all universities recognized by U.G.C. (ii) Diploma from all open universities recognized by U.G.C. (iii) Diploma level examination from DOEACC (iv) Diploma in modern office management from Government Polytechnic College.

Note – (1) In no case the maximum age limit for any category, including all relaxations, shall exceed the age of 45 years.

(2) The calculation of maximum age limit should be done in accordance with the General Administration Department Circular No. C03 – 11/12/1/3, dated 03-11-2012 and 20-11-2012.

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Name of Department	Name of post of the service from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Experience for Departmental promotion	Members of the Departmental Promotion committee
1	2	3	4	5
Cottage & Rural Industry Department	Madhya Pradesh Sericulture Class III (Non Ministerial) service			1- Joint Director (Sericulture) - Chairman 2 - Deputy Director Sericulture - Member 3- Deputy Director Sericulture - Member 4-Representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes -Member
	Senior Sericulture Inspector	Field Officer	5 years	
	Junior Sericulture Inspector	Senior Sericulture Inspector	5 years	--do--
	Demonstrator/Field man	Junior Sericulture Inspector	5 years	--do--
	Operative (Class IV)	Field man	5 years	--do--
	Madhya Pradesh Sericulture Class III (Ministerial) service			--do--
	Assistant Superintendent	Superintendent	5 years	--do--
	Field Investigator	Assistant Statistical Officer	5 years	--do--
	Accountant/ Assistant Grade-II / Sub Auditor and higher scale post of Ministerial service	Assistant Programmer	5 years (in which 3 years experience of Computer Operation is included) and Post Graduate in Math's/Physics/ Statistics/ Operation Research and Diploma in Computer Programming by recognized institute	--do--
	Accountant/Assistant Grade-II /Sub Auditor	Assistant Superintendent	5 years and Accounts Training Pass	--do--
	Assistant Grade- III	Accountant/ Assistant Grade-II /Sub Auditor	5 years	--do--
	Stenographer Grade-III	Stenographer grade -II	5 years	--do--

1	2	3	4	5
	Steno-typist	Stenographer Grade-III	5 years and Hindi Stenography Examination passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Board or any Institution recognized by the Government of Madhya Pradesh.	--do--
	Peon (Class IV)	Assistant Grade-III	5 years and Higher Secondary 12th (10+2) examination passed from any Institution recognized by the Government of Madhya Pradesh and it is compulsory to pass Computer Examination from any of the following recognized Institution:- (i) Diploma from all universities recognized by U.G.C. (ii) Diploma from all open universities recognized by U.G.C. (iii) Diploma level examination from DOEACC (iv) Diploma in modern office management from Government Polytechnic College.	--do--

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KUSUM THAKUR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.